दयानंद वैदिक विद्यालय संचालक समिति

बनाम

शिक्षा निरीक्षक, ग्रेटर बॉम्बे और अन्य।

25 अक्टूबर, 2007

[ए. के. माथुर और मार्कंडेय काटजू, जे. जे.]

अंतर्वर्ती आदेशः

शिक्षकों की नियुक्ति के अनुमोदन को अस्वीकार करने वाले शिक्षा निरीक्षक के आदेश को रद्द करने की लिखित याचिका-उच्च न्यायालय के नियमों का उल्लंघन करते हुए अंतर्वर्ती आदेश द्वारा की गई नियुक्तियां, कुछ शिक्षकों को तदर्थ अनुमोदन प्रदान करनाः निर्धारित- इस तरह की याचिका में किसी भी अंतरिम आदेश को देने की कोई गुंजाइश नहीं थी और इसके बजाय रिट याचिका पर जल्द से जल्द निर्णय लिया जाना चाहिए था-अंतरिम आदेश वास्तव में अंतिम राहत देने के बराबर है-इस तरह की प्रथा को बंद किया जाना चाहिए और इसे प्रोत्साहित नहीं किया जाना चाहिए-उच्च न्यायालय मामले के निपटारे में तेजी लाएगा-इस बीच सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश जारी रहेगा-भारत का अभ्यास और प्रक्रिया संविधान-अनुच्छेद 226। सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः2001 की सिविल अपील सं. 5979।

2000 की रिट याचिका संख्या 2209 में बॉम्बे उच्च न्यायालय के 23.11.2000 दिनांकित अंतर्वर्ती आदेश से।

अपीलार्थी के लिए ए. टी. एम. रंगरामानुजम, एम. ए. चिन्नासामी, विमल वाधवानी, के. कृष्ण कुमार और रूबी सिंह आहूजा।

उत्तरदाताओं की ओर से चिराग एम. श्रॉफ, मुकेश कुमार, महिमा सी. श्रॉफ, एस. एस. शिंदे और आशा गोपालन नायर।

न्यायालय का आदेश दिया गया था

आदेश

हमने पक्षों के लिए विद्वान अधिवक्ता गण को सुना है।

सर्वोच्च न्यायालय रेपोर्ट्स (2007) 11 एस. सी.आर.

विशेष अनुमति द्वारा यह अपील बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा पारित 2000 की रिट याचिका संख्या 2209 में 23 नवंबर, 2000 के विवादित अंतर्वर्ती आदेश के खिलाफ निर्देशित की गई है।उस रिट याचिका में प्रार्थना शिक्षा निरीक्षक, ग्रेटर मुंबई दिनांक 30.9.2000 के आदेश को रद्द करने के लिए थी।दिनांकित 30.9.2000 आदेश में कहा गया है कि चूंकि शिक्षकों की कुछ नियुक्तियां दयानंद वैदिक विद्यालय, मुंबई द्वारा नियमों का उल्लंघन करते हुए की गई थीं, इसलिए ऐसी नियुक्तियों के लिए अनुमोदन अस्वीकार कर दिया जाता है।

हमारी राय में ऐसी याचिका में किसी भी अंतरिम आदेश को देने की कोई गुंजाइश नहीं थी, और इसके बजाय रिट याचिका पर अंतिम रूप से जल्द से जल्द निर्णय लिया जाना चाहिए था।हालाँकि, उच्च न्यायालय ने विवादित अंतरिम आदेश द्वारा जो किया है, वह कुछ शिक्षकों को तदर्थ अनुमोदन देने का निर्देश देना है।

यह उच्च न्यायालय द्वारा पारित एक अजीब आदेश है।

तदर्थ अनुमोदन प्रदान करने के लिए नियमों में कोई प्रावधान नहीं है। या तो स्वीकृति दी जाती है, या प्रार्थना को अस्वीकार कर दिया जाता है।उच्च न्यायालय द्वारा अपनाए गए आधे रास्ते के उपाय की कोई गुंजाइश नहीं है।हम इस तरह के अंतरिम आदेशों की सराहना नहीं कर सकते हैं जो वास्तव में अंतिम राहत देने के बराबर हैं।इस तरह के अंतरिम आदेश देने की इस तरह की प्रथा को बंद कर दिया जाना चाहिए और इसे प्रोत्साहित नहीं किया जाना चाहिए।

हालाँकि, उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ इस अपील में, इस न्यायालय ने 29 जनवरी, 2001 को कहा कि "चुनौती के तहत आदेश के संचालन पर तब तक रोक रहेगी जब तक कि चुनौती के तहत आदेश पहले ही प्रभावी नहीं हो गया है।"रिट याचिका अभी भी बॉम्बे उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित है।हम उच्च न्यायालय से अनुरोध करते हैं कि इस आदेश की प्रति प्राप्त होने की तारीख से तीन महीने की अवधि के भीतर, यदि अब

तक इसका निपटारा नहीं किया गया है, तो अंततः मामले का निपटारा किया जाए।

इस न्यायालय द्वारा 29 जनवरी, 2001 को पारित अंतरिम आदेश को निरपेक्ष बना दिया गया है, लेकिन यह केवल उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका के अंतिम निपटारे तक जारी रहेगा।

तदनुसार दीवानी अपील का निपटारा किया जाता है।

आर. पी.

अपील का निपटारा किया गया।

<u>अस्वीकरण</u> - यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" के जरिये अनुवादक की सहायता से किया गया है । इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेंगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी आधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निष्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।